



प्रस्ताव के लिए अनुरोध (Request for Proposal)

रबी विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत गेहू खरीद कार्यों हेतु संघ द्वारा स्वयं संचालित क्रय केन्द्रों का संचालन व परिवहन एवं लेबर हथलन कार्य हेतु RFP Document ।



EOI No.: UCF/HO/WHEAT/RFP/HT/W-101/22-23

दिनांक: 11/March/2022

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०
मुख्यालय: "यू सी एफ सदन" – दीप नगर रोड, विष्णु विहार, देहरादून – 248001
(उत्तराखण्ड)



उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून

रबी विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत गेहू खरीद कार्यों हेतु संघ द्वारा स्वयं संचालित क्रय केन्द्रों का संचालन व परिवहन एवं लेबर हथलन कार्य हेतु RFP Document |

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून द्वारा रबी विपणन सत्र 2022-23 के अंतर्गत गेहू क्रय हेतु इच्छुक/योग्य समितियों (बहुउद्देशीय सहकारी समिति को छोड़कर) से संचालन व परिवहन एवं हथलन कार्यों हेतु प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर **"RFP"** मांगी जा रही है, जिसके लिए सभी प्रतिभागियों को प्रार्थना पत्र के साथ **₹1,000/- {847.46+152.54} (GST सहित)** शुल्क का भुगतान किया जाना होगा। इच्छुक RFPदाता पूर्ण रूप से भरा RFP पत्र को मांगे गए सभी प्रपत्र एवं शुल्क इत्यादी के साथ डाक/कूरियर एवं हाथों-हाथ के माध्यम से संघ के मुख्यालय/जिला कार्यालय में जमा करवाना होगा। उक्त **RFP Document** को संघ की वेबसाइट www.ucf.org.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है, जोकि दिनांक 12/03/2022 से वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

किसी भी एक RFP/समस्त RFPओं को बिना कारण निरस्त करने का अधिकार अधो-हस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रबंध निदेशक



उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून

प्रस्तावना और समीक्षा

1. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून (UCF) राज्य सरकार की एक शीर्ष सहकारी संस्था है। संघ मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत गेहूँ क्रय हेतु राज्य की नोडल एजेंसियों में से एक है, जोकि सम्पूर्ण राज्य में कार्यरत है। संघ का उद्देश्य राज्य के कृषकों को उनकी उपज के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित (MSP) मूल्य का समय से एवं सटीकता से भुगतान करना है।
2. संघ द्वारा किये जा रहे MSP आधारित क्रय किये गए गेहूँ को क्रय केन्द्रों का संचालन कर समय पर उठान कर सरकारी खाधान भंडारण तक पहुँचाने के लिए परिवहन एवं हथलन कार्यों के लिये RFP निकाली गयी है।
3. पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले RFP को ही कार्य आवंटन किया जाएगा, जिसके लिए उनके कार्य अनुभव, ट्रक उपलब्धता एवं वित्तीय क्षमता के अनुसार वरीयता दी जाएगी।
4. आवेदक भारतीय कानून के उपयुक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी होनी चाहिए।
5. चयन/सूचीबद्ध करने के लिए आवेदक (आवेदकों) को पूरे राज्य में क्षेत्रवार, जिलेवार कार्य करने के पूर्व अनुभव के लिए वरीयता दी जाएगी।
6. RFP के तहत RFPदाता को अंतिम तिथि से पहले प्रत्येक आवश्यक दस्तावेज की प्रति जमा करनी होगी।
7. RFP की जांच के बाद, संघ प्रक्रिया के अनुसार पात्र आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करेगा और उन्हें सूचित करेगा।
8. संचालन व परिवहन एवं हैंडलिंग ठेकेदार का चयन, प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा। RFPदाता/(ओं) को राज्य/जिले/क्षेत्र/केन्द्रों के नाम का उल्लेख करना होगा जिसके लिये RFP के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया हो।
9. संघ के पास राज्य भर में अपने कार्य केन्द्रों का एक नेटवर्क है और चयनित परिवहन एवं हैंडलिंग ठेकेदार इन संबंधित क्रय केन्द्रों के दायरे में काम करेंगे।





उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून

RFP के लिए पात्रता मानदंड

1. आवेदक भारतीय कानून के उपयुक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी होना चाहिए।
2. यह RFP एकल इकाई तक सीमित है और इसका समर्थन करने के लिए, बोलीदाताओं को एक ही नाम के तहत पंजीकृत होना होगा और केवल एक RFP दस्तावेज जमा करना होगा। समिति के सदस्य संयुक्त रूप से पात्रता मानदंडों को पूरा कर सकते हैं। समिति का कोई भी सदस्य प्रमुख सदस्य/आवेदक बन सकता है, जिस हेतु उनको अधिकृत किया गया हो जोकि (इस RFP दस्तावेज में दिए गए प्रारूप के अनुसार) होगा को RFP दस्तावेज के साथ संलग्न करना होगा।
3. प्रतिभागियों को उनके अनुभव और वित्तीय क्षमता के अनुसार वरीयता एवं सामान कार्य अनुभव के सापेक्ष प्रार्थमिकता दी जाएगी।
4. आवेदक के पास वर्तमान तिथि तक का वैद्य GST, PAN, एवं समिति पंजीकरण होना अनिवार्य है जोकि RFP के साथ संलग्न किया जाना होगा।
5. आवेदक द्वारा कम से कम 02 वर्षों संतुलन पत्र (Balance Sheet) एवं आयकर विवरणी (Income Tax Return) आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदक के पास वर्तमान तिथि तक का वैद्य Turnover प्रमाण पत्र (CA द्वारा प्रमाणित) जोकि कम से कम 01 वर्ष (2020-21) का होना अनिवार्य है, जोकि RFP प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा।
7. आवेदक को किसी भी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारिता समिति को भ्रष्ट और कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए कभी भी डिबार/ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया, इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. इस RFP के लिए आवेदक प्रस्तावित कम से कम 10 कर्मचारियों की संख्या प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. आवेदक द्वारा दिए गए कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष Educational सम्बन्धित समस्त प्रपत्र एवं प्रमाण पत्रों को संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. आवेदक पिछले 3 वर्षों में दिवालिया नहीं होना चाहिए का स्वप्रमाणित शपथ पत्र।
11. आवेदक संघ, समिति एवं क्रय केंद्र पर तैनात किसी भी कर्मचारी/अधिकारी/निदेशक या अन्य किसी पदासीन व्यक्ति का रिश्तेदार अथवा सगा सम्बन्धी नहीं होना चाहिए, ऐसा पाए जाने पर आवेदन को निरस्त/अमान्य घोषित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास रक्षित होगा जोकि सर्वमान्य होगा।



उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून

12. मूल दस्तावेज प्रबंधक निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि० प्राइस सपोर्ट अनुभाग, यू सी एफ सदन – दीप नगर रोड, विष्णु विहार, देहरादून – 248001 एवं जिला कार्यालय (हरिद्वार, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर) को नियत तिथि एवं समय पर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
13. आवेदक RFP तैयार करने और जमा करने से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा। RFP प्रक्रिया के आचरण या परिणाम की परवाह किए बिना, संघ किसी भी मामले में इन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।





उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून

RFP दस्तावेज़ की उपलब्धता

1. RFP दस्तावेज संघ की वेबसाइट (www.ucf.org.in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
2. RFP दस्तावेज संघ के मुख्यालय/जिला कार्यालय (हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार एवं देहरादून) से शुल्क का नगद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते जोकि नॉन रिफंड होगा।

महत्वपूर्ण तिथि एवं समय

Date of Uploading of Documents on UCF's website	12 मार्च 2022
Tender Submission Start Date and Time	12 मार्च 2022, प्रातः 10:00 बजे से
Tender submission End Date and Time	22 मार्च 2022, सांय 05:00 बजे तक
Tender opening Date and Time	22 मार्च 2022, प्रातः 10:00 बजे से
Tender Submission Place	कुमाऊँ मंडल हेतु जिला कार्यालय – हल्द्वानी (यू सी एफ प्लाजा, बरेली रोड, हल्द्वानी) गढ़वाल मंडल हेतु जिला कार्यालय – हरिद्वार में एवं जिला देहरादून की RFP मुख्यालय में।

RFP से सम्बंधित जानकारी

सभी संभावित आवेदनकर्ता RFP से सम्बंधित जानकारी नियत तिथि से पूर्व निम्नलिखित मोबाइल न० एवं ईमेल से प्राप्त कर सकते हैं:

रबी विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत गेहू खरीद कार्यो हेतु संघ के क्रय केन्द्रों पर परिवहन एवं लेबर हथलन कार्य हेतु कुमाऊँ मंडल की RFP संघ के जिला कार्यालय –हल्द्वानी तथा गढ़वाल मंडल की RFP जिला कार्यालय –हरिद्वार में एवं जिला देहरादून की RFP मुख्यालय में पूर्व निर्धारित समय व दिवस पर खोली जाएँगी।

E-mail:

ucfdehradun@gmail.com

ucfhaldwani123@gmail.com

ucfacct2021@gmail.com

Contact No:

8191801907, 910, 912, 920 & 922



उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून

RFP दस्तावेजों में संशोधन

1. RFP जमा करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, संघ, किसी भी कारण से, चाहे अपनी पहल पर या संभावित आवेदक द्वारा अनुरोध किए गए स्पष्टीकरण के जवाब में, इस RFP दस्तावेज़ को एक संशोधन द्वारा संशोधित कर सकता है।
2. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी शुद्धिपत्र/परिवर्तन के लिए संघ की वेबसाइट देखते रहें।
3. इसके अलावा, संभावित आवेदकों को अपनी RFP तैयार करने के लिए संशोधन को ध्यान में रखने के लिए उचित समय प्रदान करने के लिए, संघ अपने विवेक पर, RFP प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है और/या निर्धारित आवश्यकताओं में अन्य परिवर्तन कर सकता है।





उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून

RFP जमा करने की प्रक्रिया

1. इस RFP के संबंध में पूर्ण रूप से भरा आवेदन प्रबंधक निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, प्राइस सपोर्ट अनुभाग, यू सी एफ सदन – दीप नगर रोड, विष्णु विहार, देहरादून – 248001 को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए आवेदन के अन्य रूप किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होंगे।
2. इच्छुक पक्ष सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति के टोकन के रूप में प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी मूल डाउन लोडेड फॉर्म में रुचि की RFP दस्तावेज जमा करेंगे। फैंक्स/ईमेल या रुचि की RFP की प्रति पर प्राप्त रुचि की RFP को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
3. आवेदन के साथ प्रोसेसिंग फीस **₹1,000/- {847.46+152.54} (GST सहित)** (अप्रतिदेय) होनी चाहिए, जोकि डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से संघ को RFP खुलने से पूर्व में ही प्राप्त होनी चाहिए। इस दस्तावेज का मुद्दा किसी भी तरह से संघ को RFP प्रक्रिया के सभी या किसी हिस्से के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध या अन्यथा बाध्य नहीं करता है।
4. RFP में, RFP करने वाले व्यक्तियों के फोन, ईमेल आईडी एवं व्यक्ति का नाम, पदनाम और व्यवसाय का स्थान होना चाहिए और संभावित सेवादाता द्वारा अपने सामान्य हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित और सील किया जाना होगा।
5. इस RFP के लिए आवेदन के हस्ताक्षरकर्ता को RFP पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, इस मामले में आवेदनकर्ता द्वारा अधिकृत हस्ताक्षर का पत्र संलग्न करना होगा।
6. RFP के प्रत्येक पृष्ठ को क्रमागत रूप से क्रमांकित और हस्ताक्षरित किया जाना है।
7. यदि इस RFP के तहत अपलोड किए गए किसी भी दस्तावेज को किसी भी तरीके से संशोधित/संशोधित पाया जाता है, तो RFP को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और RFP प्रसंस्करण शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और आवेदक किसी भी उपयुक्त कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।





उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून

RFP का मूल्यांकन

1. निर्धारित समय तक प्रसंस्करण शुल्क के साथ प्राप्त RFP आवेदन (सभी प्रकार से पूर्ण) को संघ की विधिवत गठित समिति द्वारा खोला और जांचा जाएगा। समिति शर्तों के अनुसार संघ की आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान किए गए दस्तावेजों की जांच करेगी तदुपरांत पूर्णरूप से भरा व समस्त प्रपत्रों के साथ किये गए आवेदन को हो अग्रिम कार्यवाही हेतु रखा जायेगा।
2. मूल्यांकन के दौरान, संघ अपने विवेक पर आवेदक को अपने प्रस्ताव पर प्रस्तुति देने के लिए, इस RFP में उल्लिखित कार्यों को करने की उनकी क्षमता की व्याख्या करने और संघ के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कह सकता है। प्रस्तुतीकरण के स्थान की सूचना आवेदकों को उचित तिथि पर दी जाएगी। तिथि पर प्रश्नों के लिए प्रस्तुतिकरण और स्पष्टीकरण की व्यवस्था करने में आवेदक की ओर से विफल होने पर RFP रद्द कर दिया जाएगा।
3. संघ द्वारा किसी RFP में किसी भी छोटी-मोटी दुर्बलता या गैर-अनुरूपता या अनियमितता को माफ करने पर विचार कर सकता है, जो एक भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है, बशर्ते इस तरह की छूट किसी भी आवेदक की सापेक्ष रैंकिंग को प्रभावित या प्रभावित न करे।





उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून

सामान्य शर्तें

1. किसी भी नियम एवं शर्त का किसी भी समय एवं किसी भी प्रकार से उल्लंघन स्वीकार्य नहीं होगा।
2. कार्य आपूर्ति की प्रक्रिया के किसी भी चरण में, यदि यह पाया जाता है कि आवेदक ने गलत और भ्रामक प्रमाण पत्र/सूचना/दस्तावेज दिया है, तो संघ RFP को रद्द करने, सुरक्षा की जब्ती/RFP सहित उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
3. वर्तमान RFP किसी भी पिछले चल रहे/पूर्ण अनुबंध से स्वतंत्र होगा जो संघ और आवेदक (आवेदकों) के बीच दर्ज किया गया हो सकता है।
4. संघ के पास आवेदक (आवेदकों) से किसी भी अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार सुरक्षित है और इसे आवेदक द्वारा दी गई समय अवधि के भीतर संघ को प्रस्तुत किया जाएगा।
5. यह RFP भारतीय कानूनों के अनुसार शासित और समझा जाएगा।
6. आवेदक द्वारा दोनों कार्य के लिए पृथक पृथक लिफाफे के माध्यम से जमा करना होगा तथा लिफाफे पर कार्य का नाम भी अंकित करना अनिवार्य होगा।
7. सफल RFPदाता को चयन सूचना के पश्चात् 05 दिन के अन्दर ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार मात्र) की धरोहर राशि "UTTARAKHAND STATE COOPERATIVE FEDERATION LTD." के नाम से जोकि DEHRADUN पर देय होगा का भुगतान FDR के माध्यम से जमा करना होगा।
8. प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक/अधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर (Seal/स्टाम्प) अंकित करना अनिवार्य होगा।
9. RFPदाता द्वारा RFP पत्र के साथ ₹ 100/- स्टाम्प अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा जिसमें प्रथम पक्ष पर "उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून" तथा द्वितीय पक्ष पर RFPदाता का नाम (कम्पनी/साझेदारी फर्म/समिति/ व्यक्ति) का उल्लेख किया जाना होगा।
10. आवेदक अपना पूर्ण रूप से भरा आवेदन संघ मुख्यालय एवं जिला कार्यालय (हरिद्वार, हल्द्वानी एवं रुद्रपुर) पर नियत तिथि पूर्व/तक जमा करा सकते हैं।





उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून

आवेदन पत्र (आवेदक समिति के लैटर पेड पर)

सेवा में,
प्रबंध निदेशक
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०
“यू सी एफ सदन” – दीप नगर रोड,
विष्णु विहार, देहरादून,
उत्तराखण्ड - 248001

महोदय,

मैं/हम, आवंटित राज्य/जिले/क्षेत्र में संघ के आगामी रबी विपणन सत्र 2022-23 के अंतर्गत गेहू खरीद कार्य हेतु परिवहन एवं हथलन कार्य के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए प्रसंस्करण शुल्क जमा करते हैं।

मैंने/हमने RFP में निहित सभी नियमों और शर्तों की पूरी तरह से जांच और समझ कर ली है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि संघ इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए विधिवत अधिकृत हैं।

आपका विश्वासी

अधिकृत हस्ताक्षर

नाम:.....

पदनाम:.....

मो. न.:.....

दिनांक:.....

स्थान:.....



उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून

आवेदन पत्र

आवेदक समिति का नाम	
व्यवसाय का नाम	
कानूनी नाम (पेन आधारित)	
व्यवसाय का प्रकार (फर्म/कम्पनी/समिति/व्यक्ति का नाम/एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स/बॉडी ऑफ़ इंडीविज्युलस)	
पंजीकृत पत्राचार का पता	
पंजीकरण सं०	
PAN	
GSTN	
AADHAR अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रोपरायटर	
Turnover Certificate & Income Tax Return	
अधिकृत व्यक्ति का नाम , पद नाम, मो०न० एवं ई- मेल	
अधिकृत व्यक्ति के पत्राचार का पता	

नोट: उपरोक्त सभी के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।



उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून

नाम मात्रिक सदस्यता हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,
प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०
देहरादून।

महोदय,

मैं/हम,

श्री/श्रीमती/मैसर्स..... संघ में नाम
मात्रिक सदस्य लेना चाहते हैं। जिस हेतु मैं/हम ₹ 100/- (गैर वापसी) नगद के रूप में आपके कार्यालय
में जमा कर रहे हैं।

मैं/हम, यह भी घोषणा करते हैं कि, सहकारिता अधिनियम, उत्तराखण्ड के अंतर्गत जो भी
नियम प्रचलित है या समय समय पर बनाए जायेंगे, वह हमें स्वीकार्य होंगे। यह सदस्यता मेरे/हमारे
द्वारा संघ में किये जा कार्यों तक ही सिमित रहेगी तथा जिस हेतु मैं/हम उनका पालन करेंगे।

इस हेतु मेरा/हमारा विवरण निम्नवत है:-

आवेदनकर्ता का नाम:

आवेदनकर्ता की स्थिति:

आवेदक का पता:

आवेदक का PAN:

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षर

जिला कार्यालय हेतु

नाममात्रिक सदस्यता का उद्देश्य:.....

सदस्यता शुल्क का विवरण: रसीद सं०..... दिनांक.....

दिनांक:.....

स्वीकृति के लिए अनुशंसित

जिला:.....

अधिकृत हस्ताक्षर



उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून

Undertaking from Applicant

(to be submitted on the letter head)

Date: -

To

The Managing Director,
Uttarakhand State Cooperative Federation Ltd.
“UCF SADAN” – Deep Nagar Road,
Vishnu Vihar, Dehradun
Uttarakhand - 248001

Dear Sir,

This has reference to the Tender reference no..... In response to _____ datedpublished in the newspaper/website of Federation the said Tender, I/ we have submitted our Tender at your office.

In connection with the above Tender, I / we hereby declare and undertake as under: -

- (i) That we are neither related to any member(s) of your Board of Directors, Officers and other employees nor do we have any financial, commercial or other interests with any of the above persons in any capacity whatsoever.
- (ii) That we have read this Tender documents completely and all terms & conditions given in this Tender documents are acceptable to me/us.
- (iii) That we have not been blacklisted by any State/Central Govt. body/ Public Sector Undertaking at any point of time in India.
- (iv) That we have not been involved in any major litigation that may have an impact of affecting or compromising participation in this Tender.
- (v) That in case of any violations to the above declarations at any stage of the Tender, Federation reserves the sole right to cancel the candidature under this Tender.

For and on behalf of

(Authorized Signatory with seal/Stamp)